रामजीलाल 48 हुक० कमेटी वगैरा
दावा सं० 116A/13

रखवा - अक० फौजदार

A
8

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.6.16 | आज पंचायती राजस्व लोक अदालत अधि० अन्तर्गत न्याय अदालत के द्वारा 2016 कैम्प अलवरशाह में प्रस्तुत हुई। कैम्प के दौरान मामले आम में पंचायती का अवलोकन किया। पंचायती डिक्री की पालना में तहसीलदार नगर से हुई रिपोर्ट दि० 30.4.15 इनके पत्रांक/राजस्व/15/445 दिनांक 4.5.15 से प्राप्त होना पंचायती में शामिल है। हुई रिपोर्ट के साथ सिलसिला आराजी सं० 2070-73 वाके ग्राम अकबरपुर फौजदार के खाता सं० 35 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मूलक कलुआ के वारिसान प्रति० 2 लगा० 7 ने अपने हिस्से का हक त्याग प्रति० सं० 9 के पक्ष में तथा प्रति० सं० 1 के द्वारा हक त्याग-पत्र एवं प्रति० सं० 8 व 9 के पक्ष में किया जाना साबित होता है। इस प्रकार शेष सह खातेदार वादी एवं प्रति० सं० 8,9,10 के मध्य हुई रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की गई है, जिसकी बाबत मामले आम में भी जानकारी करने पर पड़तालन का इसी प्रकार कब्जा होना बताया गया। अतः आदेश है कि -<br>दावा वादी मुताबिक हुई रिपोर्ट दिनांक 30.4.15 फाइनल डिक्री किया जाता है। ग्राम अकबरपुर फौजदार की ख० नं० 311/0.05 पर वादी रामजीलाल को ख० नं० 653/311 0.04 पर प्रति० सं० 8 छोटेलाल को, ख० नं० 655/311 0.10 पर प्रति० सं० 9 जीतराम को तथा ख० नं० 654/311 0.03 पर प्रति० सं० 10 भगवानी को पृथक-पृथक खातेदार घोषित किया जावे, जिसकी मिस नजरी नक्शा अनुसार तरमीम की जाकर पृथक-2 खाता व लगान कायम किया जावे, शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। इसी प्रकार आदेश दिया जाता है।<br>655/311<br>654/311<br>653/311<br>311<br>आदेश आज कैम्प अलवरशाह में मामले आम में सुनाया गया। पंचायती फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।<br>16/6/16<br>(चिराग जैन मीना)<br>लोक अदालत<br>उपखण्ड अधिकारी एवं<br>पदेन सहा० कलक्टर | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 12:43:04 IST
Reason: SelfAttested

157
22/6/16

Scanned with CamScanner